श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर समूह शाहतलाई, डाकघर शाहतलाई, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पिन कोर्ड 174630 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 1.1.2009 से 31.12.2009 तक

भाग–एक(क)

1 भूमिका :–

(1) श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/2009 से 12/2009 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण स्थानीय निधि लेखा विभाग के ज्ञापन संख्या–फिन(एल0ए0)–(4) 2/82–ई0–9–676, दिनांक 2.3.2010 की अनुपालना में बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई में किया गया।

(2) उक्त अवधि में बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर में अध्यक्ष (उप–मण्डलीय दण्डाधिकारी नागरिक) मन्दिर न्यास में आहरण एवं वितरण अधिकारी का सेवाकाल निम्न प्रकार से रहा।

क्रम संख्या	अध्यक्ष (मन्दिर न्यास) का नाम	सेवाकाल अवधि
1	श्री सुमित खिमटा	1.1.2009 से 31.12.2009

(3) श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के गत तीन वर्षों की आय एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा :–

अवधि	आय	व्यय	टिप्पणी
1.1.06 से 31.12.06	80,03,854.00	68,91,932.00	यह आय सावधि जमा एवं सेविंग पर प्राप्त ब्याज छोड़ कर दर्शाई गई है।
1.1.07 से 31.12.07	85,92,900.00	60,53,974.00	–यथोपरि–
1.1.08 से 31.12.08	91,12,625.00	67,07,254.00	–यथोपरि–

1.1.09 से 31.12.09	1,18,55,359.00	1,19,93,728.00	—यथोपरि—

वित्तीय स्थिति विश्लेषण :—

श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर के गत चार वर्षों 2006 से 2009 तक के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय के अवलोकन पर पाया गया कि बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिस का मुख्य कारण श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ौतरी है इसके अतिरिक्त विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ौतरी हुई है तथा दान में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। मन्दिर समूह शाहतलाई को हिमाचल प्रदेश सरकार से किसी प्रकार की सहायता एवं अनुदान प्राप्त नहीं होता व चढ़ावे ही आय का मुख्य साधन है।

भाग—एक(ख)

2 गत लेखा प्रतिवेदन :—

गत लेखा प्रतिवदेन में सम्मिलित बकाया पैरों के सम्बन्ध में तैयार किए गए सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण पर समीक्षा करने पर कुछ पैरों का निपटारा किया गया। परन्तु वसूली योग्य पैरों व कुछ के सम्बन्ध में अन्तिम कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप उनका निपटारा संभव नहीं हो सका। अतः पुराने वसूली योग्य व लम्बित पड़े पैरों पर शीघ्र उचित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए ताकि इनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :—

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.93 से 31.12.98 तक

1	पैरा 6(ख)	अंशतः निर्णीत	श्री सुखदेव चन्देल से ₹1,810.00 की वसूली शेष पड़ी है जिसे वसूला नही गया।
	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	श्री सुखदेव चन्देल से ₹1,810.00 की वसूली शेष पड़ी है जिसे वसूला नही गया।
2	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	अवधि 4.3.95 से 2.4.95 तक श्रद्धालुओं से प्राप्त वस्तुओं की प्रविष्टियां स्टॉक में दर्ज नहीं की गई।

	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	बिजली बिलों पर सर चार्ज राशि की अदायगी की वसूली अपेक्षित है।
	पैरा 8(5)(क)	अनिर्णीत	सेल टैक्स (Royalty) की वसूली शेष है।
	पैरा 8(5)(ख)	अनिर्णीत	अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण पर दर्शाए नहीं गए।
	पैरा 8(5)(ग)	अनिर्णीत	₹700.00 की वसूली शेष है। क0अ0 द्वारा यह राशि जमा नहीं करवाई गई।
	पैरा 8(6)	अनिर्णीत	अग्रिम रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया।
	पैरा 8(8)	अनिर्णीत	स्टॉक रजिस्टर व एम0ए0एस0 रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002 तक

1	पैरा 4 नोट (12)	निर्णीत	₹10.00 के अन्तर का मिलान नहीं किया गया है। परन्तु दिनांक 26.8.2010 को रसीद संख्या 166 से वसूली कर ली गई है।
2	पैरा 21(2)	निर्णीत	अधिक भुगतान की गई राशि ₹2,665.00 की वसूली अपेक्षित है परन्तु सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त।
3	पैरा 24(2)	निर्णीत	प्रशासनिक खर्चे की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जिसे अब प्राप्त किया गया।
4	पैरा 38	अनिर्णीत	अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर ग्रहण नहीं किए गए।
5	पैरा 39	अनिर्णीत	विपत्र अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित नहीं करवाया गया।
6	पैरा 41	अनिर्णीत	अपेक्षित राशि सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य विभाग से प्राप्त नहीं की गई।

7	पैरा 44	अनिर्णीत	कर्मचारी के पक्ष में लिए गए निर्णय को दर्शाया नहीं गया।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2003

1	पैरा 15	अनिर्णीत	राशि ₹808.00 + ₹350.00 की वसूली अपेक्षित है।
2	पैरा 17(1)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 17(2)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 17(3)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 17(4)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 17(5)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 17(6)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
3	पैरा 19(1)	अनिर्णीत	बिजली का सामान पंखे एवं टयूब के क्रय से सम्बन्धित कोई सटिप्पण उत्तर तैयार नहीं किया गया।
	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 19(3)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 19(4)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 19(5)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 19(6)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 19(7)	अनिर्णीत	–यथोपरि–

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2004

1	पैरा 17	अनिर्णीत	सोने की कम मात्रा की वसूली अपेक्षित है।
2	पैरा 18(1)	अनिर्णीत	स्टॉक में लेखांकन नहीं किया गया व अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं की गई।
	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 18(3)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
	पैरा 18(4)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
3	पैरा 22(1)	अनिर्णीत	प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।
	पैरा 22(2)	अनिर्णीत	
	पैरा 22(3)	अनिर्णीत	
4	पैरा 23(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 24(1)	अनिर्णीत	
	पैरा 24(2)	अनिर्णीत	
	पैरा 24(3)	अनिर्णीत	
	पैरा 24(4)	अनिर्णीत	
	पैरा 24(5)	अनिर्णीत	
6	पैरा 29(क)(1)	अनिर्णीत	
	पैरा 29(क)(2)	अनिर्णीत	

	पैरा 29(क)(3)	अनिर्णीत	
	पैरा 29(क)(4)	अनिर्णीत	
7	पैरा 29(घ)(क)(1)	अनिर्णीत	
	पैरा 29(घ)(क)(2)	अनिर्णीत	
	पैरा 29(घ)(क)(3)	अनिर्णीत	
8	पैरा 29(घ)(ख)(1)	अनिर्णीत	
	पैरा 29(घ)(ख)(2)	अनिर्णीत	
	पैरा 29(घ)(ख)(3)	अनिर्णीत	
9	पैरा 29(च)	अनिर्णीत	रसीद संख्या 000946 से 950 तक उपलब्ध नहीं करवाई गई।
10	पैरा 29(छ)	अनिर्णीत	दिनांक 22.3.04 को काटी गई रसीद संख्या 2087 व 2088 की वसूली अपेक्षित है।
11	पैरा 29(ज)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
12	पैरा 29(झ)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
13	पैरा 29(ण)	अनिर्णीत	राशि ₹200.00 की वसूली अपेक्षित है।
14	पैरा 29(प)(1) से (4)	अनिर्णीत	

(5) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/05 से 12/05 तक</u>

1	पैरा 5	अनिर्णीत	वर्ष 2005 को व्यय का आयुक्त महोदय से अनुमोदन नहीं दर्शाया गया।

2	पैरा 9(ख) नोट(1)	अनिर्णीत	रोजनामचा एवं दैनिक संग्रह रजिस्टर प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं करवाया गया।
	पैरा 9(ख) नोट(2)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 9(ख) नोट(3)	अनिर्णीत	
3	पैरा 10	अनिर्णीत	राशि ₹17,400.00 को प्राप्त करने बारे बैंक से कार्यवाही अपेक्षित है।
4	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5	पैरा 15	अनिर्णीत	हस्तगत सिक्कों का प्रत्यक्ष सत्यापन व कमेटी का गठन अभिलेख नहीं दर्शाए गए।
6	पैरा 18(1)	अनिर्णीत	राशि ₹13,300.00 की वसूली अपेक्षित है।
	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
7	पैरा 19	अनिर्णीत	मंहगाई भत्ते की अधिक अदायगी के संदर्भ में वसूली शेष है।
8	पैरा 20(1)	अनिर्णीत	राशि ₹300.00 की वसूली शेष है।
	पैरा 20(2)	अनिर्णीत	राशि ₹50.00 की वसूली शेष है।
	पैरा 20(3)(1)	अनिर्णीत	राशि ₹100 +₹50 =₹150 की वसूली शेष है।
9	पैरा 22	अनिर्णीत	अभिलेख दर्शाए नहीं गए।
10	पैरा 23(क)	अनिर्णीत	रसीदों पर कटिंग का सत्यापन नहीं करवाया गया।

	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत	अपेक्षित अभिलेख नहीं दिखाया गया।
11	पैरा 26(छ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 28	अनिर्णीत	
13	पैरा 29	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/06 से 12/07 तक

1	पैरा 5	निर्णीत	
2	पैरा 8	निर्णीत	
3	पैरा 10	निर्णीत	कार्यकाल में बढ़ौतरी आदेश देख लिए गए हैं।
4	पैरा 17	निर्णीत	उचित कार्यवाही की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त।
5	पैरा 22	अनिर्णीत	कार्यवाही नहीं दशाई गई।
6	पैरा 25	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा/तहसीलदार झण्डुता एवं अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर उपरान्त समाप्त।
7	पैरा 26(1)	निर्णीत	
	पैरा 26(2)	निर्णीत	
	पैरा 26(3)	निर्णीत	
	पैरा 26(4)	निर्णीत	
	पैरा 26(5)(1)	निर्णीत	
	पैरा 26(5)(2)	निर्णीत	
	पैरा 26(6)	अनिर्णीत	कार्यवाही अपेक्षित है।

	पैरा 26(7)	अनिर्णीत	कार्यवाही अपेक्षित है।
8	पैरा 27	निर्णीत	विवरण आदेश W/R-P-50 पूर्ण किए गए।
9	पैरा 31	अनिर्णीत	प्रार्थी द्वारा लौटाई गई राशि ₹4,000.00 के अभिलेख की पुष्टि नहीं करवाई गई
10	पैरा 32	निर्णीत	
11	पैरा 33	अनिर्णीत	अन्तरित प्रविष्टि नहीं की गई।
12	पैरा 34(1) से (5)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
13	पैरा 35(1)	अनिर्णीत	बजाज कम्पनी की दर सुचि नहीं दर्शाई गई।
14	पैरा 36	निर्णीत	
15	पैरा 37	निर्णीत	
16	पैरा 38	निर्णीत	
17	पैरा 40	अनिर्णीत	खर्चा नियमित नहीं करवाया गया।
18	पैरा 41(1)	निर्णीत	
	पैरा 41(2)	निर्णीत	
19	पैरा 42(1)	अनिर्णीत	राशि ₹3,051.00 की वसूली शेष है।
	पैरा 42(2)	निर्णीत	
	पैरा 42(3)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
20	पैरा 43	अनिर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
21	पैरा 44	अनिर्णीत	वापिस लौटाई गई राशि अभिलेखों को दर्शाया नहीं

			गया।
22	पैरा 45	अनिर्णीत	सटिप्पण उत्तर की प्रति विभाग को भेज दी गई है।
23	पैरा 46(1)	अनिर्णीत	
	पैरा 46(2)	अनिर्णीत	
24	पैरा 47	अनिर्णीत	
25	पैरा 48(1)	अनिर्णीत	
	पैरा 48(2)	अनिर्णीत	
26	पैरा 49	अंशतः निर्णीत	
27	पैरा 50(1)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त समाप्त।
	पैरा 50(2)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त समाप्त।
	पैरा 50(3)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त समाप्त।
	पैरा 50(4)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त समाप्त।
28	पैरा 51	अनिर्णीत	राशि ₹2,800.00 की वसूली अपेक्षित है।
29	पैरा 52	निर्णीत	MAS Register की जांच कर ली गई है।
30	पैरा 53	निर्णीत	समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त।
31	पैरा 54	निर्णीत	जांच की पुष्टि कर/सुभाव अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई।
32	पैरा 55	निर्णीत	जांच की पुष्टि कर/सुभाव अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई।

33	पैरा 56(1)	निर्णीत	टैण्डर रजिस्टर तैयार कर दर्शाई गई।
	पैरा 56(2)	निर्णीत	रजिस्टर की पुष्टि कर ली गई।
	पैरा 56(3)	निर्णीत	वर्क रजिस्टर का निर्माण वर्कनुसार कर लिया गया है।
34	पैरा 57	अनिर्णीत	भण्डार रजिस्टर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया।
35	पैरा 58	अनिर्णीत	चल अचल रजिस्टर तैयार नहीं किया गया।
36	पैरा 60	अनिर्णीत	सुझाव अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/08 से 12/08 तक

1	पैरा 5	अनिर्णीत	कार्रवाई अपेक्षित है।
2	पैरा 6	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त।
3	पैरा 7(1)	निर्णीत	प्रविष्टि राशि ₹64,040.00 की रोकड़ बही पृष्ठ 23 पर दर्ज है।
	पैरा 7(2)	निर्णीत	प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ–45 पद दर्ज है पुष्टि कर ली गई है।
4	पैरा 8	निर्णीत	परिपक्वता पुष्टि कर ली गई है।
5	पैरा 9	निर्णीत	
6	पैरा 10(1)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(2)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(3)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(4)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।

	पैरा 10(5)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(6)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(7)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(8)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(9)(1)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(9)(2)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(9)(3)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
	पैरा 10(10)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर की समीक्षा के उपरान्त।
7	पैरा 11	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 2203665, दिनांक 20.8.2010 को तैयार कर भिजवा दिया गया है।
	पैरा 12	निर्णीत	
8	पैरा 13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है।
9	पैरा 14	निर्णीत	
	पैरा 14(1)	निर्णीत	
	पैरा 14(2)	निर्णीत	
	पैरा 14(3)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 14(4)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है।
10	पैरा 15	अनिर्णीत	राशि ₹5,000.00 आवास भत्ते की वसूली शेष है।
11	पैरा 16	निर्णीत	छुट्टी अभिलेखों को पूर्ण कर दिया गया है।

12	पैरा 17(1)	निर्णीत	पुष्टि कर ली गई।
	पैरा 17(2)	निर्णीत	
13	पैरा 18	अनिर्णीत	चल एवं अचल रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया।
14	पैरा 19	अनिर्णीत	कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया।
15	पैरा 20	अनिर्णीत	विज्ञापन बिल पर पारित एंव हस्ताक्षर ग्रहण नहीं किए गए।
16	पैरा 21(1)	अनिर्णीत	कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	पैरा 21(2)	अनिर्णीत	कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	पैरा 21(3)	अनिर्णीत	कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	पैरा 21(4)	अनिर्णीत	कोई कार्यवाही नहीं की गई।
17	पैरा 22	अनिर्णीत	
18	पैरा 23	निर्णीत	सुझाव अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
19	पैरा 24	निर्णीत	आयुक्त कार्यालय से राशि ₹50,000.00 की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।
20	पैरा 25	निर्णीत	आयुक्त कार्यालय से राशि ₹50,000.00 की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।
21	पैरा 26(1)	अनिर्णीत	राशि ₹1,110.00 की वसूली अपेक्षित है।
	पैरा 26(2)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 26(3)	अनिर्णीत	कोई कार्रवाई नहीं की गई।

22	पैरा 27	अनिर्णीत	मूल स्वीकृति आदेश दर्शाए नहीं गए।
23	पैरा 28	अनिर्णीत	कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।
24	पैरा 29	निर्णीत	खपत विवरणीका दशाई गई।
25	पैरा 30	निर्णीत	वर्ष 2009 के रजिस्टर पूर्ण पाए गए।
26	पैरा 31	अनिर्णीत	कोई उत्तर तैयार नहीं किया गया।
27	पैरा 32(1)	निर्णीत	रसीद बुक प्रस्तुत नहीं गई व वर्ष 2009 तक यह खाली पाई गई।
	पैरा 32(2)	अनिर्णीत	
28	पैरा 33	अनिर्णीत	

भाग–दो

3 वर्तमान लेखा परीक्षा :–

श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के लेखा अवधि 1/2009 से 12/09 तक का लेखा परीक्षण एवं निरिक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री यशवीर कुमार अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 18.8.2010 से 23.8.2010 व दिनांक 24.8.2010 से 31.8.2010 के दौरान शाहतलाई में किया गया।

मास 3/09 व 12/09 को विस्तृत जांच/पड़ताल के लिए चुना गया क्योंकि उक्त माहों में आय एवं व्यय अधिक पाया गया यद्यपि माह 3/09 मे बाबा जी के मेला प्रारम्भ होता है व माह में श्रद्धालुओं से चढत के रूप में आय की प्राप्ति भी अधिक पाई जाती है, के साथ–साथ मेला प्रबन्धन व श्रद्धालुओं की सुविद्धाएं प्रदान करने पर व्यय भी अधिक किया जाता है, को मध्यनजर रखते हुए उक्त माह में व्यय वाऊचरों की पड़ताल भी की गई। इस के अतिरिक्त वर्ष के दौरान प्राप्त की गई आय की रसीदों की शत प्रतिशत जांच की गई।

यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि लेखा वर्ष 2009 तक के परीक्षण एवं निरीक्षण के लिए जो अभिलेख उपलब्ध करवाए गए अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण तदानुसार ही किया गया किसी भी प्रकार की अपूर्ण एवं अधुरी सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश–शिमला 171009 का कोई दायित्व नहीं होगा, अपितु लेखा परीक्षण का दायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

4 <u>वित्तीय स्थिति</u> :–

(1) **<u>अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही</u>** :–

1	रोकड़ बही पृष्ठ 274 अनुसार बैंक व सावधि निवेशित राशि का योग/प्रारम्भिक शेष	18006718.00
2	वर्ष 2009 के दौरान प्राप्त आय	11855359.00
3	सेविंग ब्याज/अर्जन	167926.00
4	सावधि पर ब्याज अर्जन	1144810.00
	योग	**31174813.00**
5	वर्ष 2009 का कुल व्यय	11993728.00
	अन्तशेष	**19181085.00**

(2) **<u>अन्तशेष का विवरण निम्न से रहा</u>** :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	बैंक में दिनांक 31.12.09 को शेष राशि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य कॉप्रेटिव बैंक शाखा तलाई	297	473143.00
2	पंजाब नैशनल बैंक शाखा जडडु	100900822	3070396.00

	गुलजार	
3	भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहतलाई	799347.00
4	सावधि में निवेशित राशि	14667215.00
5	हस्तगत राशि	107534.00
	योग	**19117635.00**

रोकड़ बही व पास बुक में अन्तर 19181095 (–) 19117635 **63450.00**

(3) **रोकड बही पृष्ठ–80 अनुसार 31.12.2009 का अन्तशेष का विवरण :–**

1	सावधि जमा	14667215.00
2	बैंक में जमा	4296836.00
3	हस्तगत राशि	107534.00
4	रोकड़ बही में सिक्कों की व्यय राशि को जोडी गई राशि	(–)17400.00
5	अन्तर	19054185.00
6	Cheque Issued but not present (19054185-63450)	**19117635.00**

(4) **बैंक समाधान विवरणिका :–**

1	बैंक पास बुक अनुसार शेष राशि	4342886.00
2	रोकड़ बही पृष्ठ–81 अनुसार शेष राशि	4296836.00
	अन्तर	46050.00
4	कैश बुक व पास बुक	4296836.00
	(–) Less counter -------	(-)17400-00
	(+) Cheque Issue but not present	(+) 63450-00

योग	**4342886.00**

(1) चैक इश्युड परन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए :–

चैक संख्या	दिनांक	राशि
5041533	18.11.2009	10000.00
5041531	18.11.2009	20000.00
5041218	25.5.2009	5000.00
5041490	13.07.2009	3600.00
5556014	29.12.2009	2100.00
5556008	23.12.2009	22750.00
		63450.00

(5) <u>वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विवरण</u> :–

माह	भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 **3239525**	हि0प्र0 रा0 को0बैंक खाता सं0 **297**	पं0ने0बैंक खाता सं0 **1900822**	योग	सावधि ब्याज	कुल योग
1/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	279250.00	279250.00
2/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	54959.00	54959.00
3/09	11395 / 31.12.08	33671.00	24798.00	69864.00	–शून्य–	69864.00
4/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	102241.00	102241.00

5/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	106993.00	106993.00
6/09	11760.00	–शून्य–	–शून्य–	11760.00	–शून्य–	11760.00
7/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–
8/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	601367.00	601367.00
9/09	–शून्य–	35537.00 30.5.09	37937.00 6.9.09	73474.00	–शून्य–	73474.00
10/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–
11/09	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–
12/09	12828.00	–शून्य–	–शून्य–	12828.00	–शून्य–	12828.00
योग	**35983.00**	**69208.00**	**62735.00**	**167926.00**	**1144810.00**	**1312736.00**

टिप्पणी :– भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई द्वारा अवधि 31.12.08 को ब्याज राशि 11395.00 दिया गया था, जिसका अवधि/माह 3/09 में रोकड़ बही पर प्रविष्टि की गई। भविष्य के लिए प्राप्त ब्याज को समय पर प्राप्त कर रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित करें ताकि लेखों का मिलान करने पर असुविधा न हो।

5 निवेश :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न राष्ट्रीकृत बैंकों में लम्बी अवधि के लिए राशियां निवेशित की गई थी विवरण निम्न से है :–

6 **बजट** :–

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर के वर्ष 2009 का बजट हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एंव पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22(1) के अधीन तैयार कर आयुक्त महोदय से अनुमोदन करवा लिया गया है। जिसकी पुष्टि कर ली गई है :–

7 **आय एवं व्यय आंकड़ों का तिमाही बार आयुक्त महोदय को प्रस्तुत न करने बारे** :–

अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर प्रभारी द्वारा मन्दिर समूह के आय एवं व्यय आंकड़ों को तिमाही बार तैयार नहीं किया गया इस के अतिरिक्त निदेशक भाषा एंव संस्कृति विभाग द्वारा सभी मन्दिर न्यासों को पत्र के माध्यम से माहवार आय एवं व्यय आंकड़ों की सूचना प्रेषित करने बारे निर्देश दिए गए हैं परन्तु बाबा बालक नाथ शाहतलाई द्वारा अवधि 1.1.09 से 31.12.09 तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं भेजी गई। जबकि इस प्रकार की सूचना हिमाचल प्रदेश हिन्दू पब्लिक धर्मार्थ विन्यास नियम–1984–आधार–34(2)(बी) में वर्णित फार्म 'ई' में भरकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिसे समय–समय पर सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। तद्यापि व्यय अधिनियम–1984 की धारा–22 के अन्तर्गत अनुमोदित बजट अनुसार ही किया गया, जा रहा है।

8 **गोल्ड ब्रांड योजना का लाभ न उठाने बारे** :–

वर्ष 2009 तक सोने की कुल मात्रा 114 ग्राम एवं 800 मि0 ग्राम पाई गई जिसे गोल्ड ब्रांड योजना में नहीं डाला गया है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008 के पैरा 6 के अन्तर्गत सुझाव दिया गया था कि सोने की उपलब्ध मात्रा को गोल्ड ब्रांड योजना में डाला जाए ताकि इस पर ब्याज की प्राप्ति हो सके। अपेक्षित कार्रवाई अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

9 **सोने चांदी का विवरण** :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान सोने चांदी की प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार से रहा :–

क्र0सं0	सोने का विवरण	किलो	ग्राम	मि0ग्राम
1	वर्ष 2008 का शेष	–	109	480

	वर्ष 2009 में प्राप्ति	—	5	320
	कुल योग	**—**	**144**	**800**
2	**चांदी का विवरण**			
	वर्ष 2008 का शेष	4	540	360
	वर्ष 2009 में प्राप्ति	—	453	640
	कुल योग	**4**	**994**	**000**

10 मन्दिर न्यास के प्रबन्धन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए बाय लाज़ (मन्दिर नियमावली) में कर्मचारी के वेतन एंव स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में :–

श्री बाबा बालक नाथ शाहतलाई के प्रबन्धन के लिए कर्मचारियों के लिए नियमों का प्रावधान हिमाचल प्रदेश हिन्दू पब्लिक धार्मिक संस्था व चैरिटेबल एण्ड इन्डोमेट एक्ट 1984 के सैक्शन–5 की अनुपालना में अनुमोदित पदों एवं वेतन मानों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0सं0	मीनिस्टीरयल स्टाफ	स्वीकृत पद	वेतन मान संशोधित
1	अधीक्षक (व0स0)	1	10300—34800
2	लेखाकार	1	10300—34800
3	कनिष्ठ अभियन्ता	1	10300—34800
4	जुनियर सहायक	1	5910—20200
5	स्टैनों टाईपिस्ट	1	5910—20200
6	लिपिक	2	5910—20200
7	सिक्योरटी गार्ड	2	4900—10680
8	पुजारी	10	4900—10680
9	सहायक पुजारी	2	4900—10680
10	चपड़ासी	3	4900—10680

11	सफाई कर्मचारी	2	4900–10680

उपरोक्त वर्णित हिन्दू धार्मिक संस्था एंव चेरिटेबल एक्ट–1984 के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर समूह के लिए 28 पद ही स्वीकृत किए गए थें जबकि 2001 के पश्चात इन पदों की संख्या 40 तक पहुंच गई हैं। व इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की प्रतिशतता वर्ष 2009 से 28.7.01 पाई गई।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान देय	अधिग्रहण के समय (ग्रहण) पदों की सं0	कार्यरत स्वीकृत पद	दैनिक भोगी	दर	टिप्पणी
1	व0 सहायक	10300–34800	1	1	–	–	
2	लेखाकार	10300–34800	1	खाली	–	–	
3	जुनियर सहायक	5910–20200	1	खाली	–	–	
4	क0 अभियन्ता	10300–20200	1	1	–	–	
5	स्टेनो टाईपिस्ट	5910–20200	1	खाली	–	–	
6	लिपिक	5910–20200	2	2	कोई नहीं	–	1 पद वर्ष 3/09 में नियमित रूप से भरा गया।
7	सिक्योरटी गार्ड	4900–10680	2	2	कोई नहीं	–	
8	पुजारी	4900–10680	10	8	2	₹132 प्रतिदिन	1 पद
						₹110 प्रतिदिन	1 पद

9	सहायक पुजारी	4900—10680	2	2	2	—	
10	चपडासी	4900—10680	3	3	—	—	
11	चौकीदार	4900—10680	2	2	—	—	
12	सफाई कर्मचारी	4900—10680	2	2	—	—	
13	मेसन / कारपेन्टर	4900—10680	—	—	1	₹140 प्रतिदिन	1 रिटायर्ड
14	मजदूर	—	—	—	10	₹110 प्रतिदिन	
15	माली	—	—	—	1	-	
		कुल पद	**28**	**23**	**16**		

स्थापना शाखा के वर्णित लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर कनिष्ठ अभियन्ता के पास मैन्टेनैंस कार्य के लिए मन्दिर अधिनियम—1984 के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार कोई पद स्वीकृत नहीं या परन्तु दिन प्रति दिन साफ सफाई एवं अन्य विकास कार्य के लिए पिछले कई वर्षों से दैनिक भोगी कर्मचारियों की संख्या मे बढौतरी पाई गई। गत वर्ष में इन की संख्या 8 थी परन्तु वर्ष 2009 में 4 मजदूरों की भर्ती दैनिक भोगी के रूप में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बिना स्वीकृति के अपने स्तर पर ही कर दी गई। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करने के साथ—साथ इनकी नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11 विदेशी मुद्रा :—

अंकेक्षण के दौरान दैनिक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 55 से 77 व प्राप्त विदेशी मुद्रा की प्रविष्टियां की गई, जिसे अंकेक्षण अवधि तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे बदलने हेतु भेजा नहीं गया है जिसका विवरण निम्न से है :—

दिनांक	करन्सी का नाम	नोट/सिक्कों की सं0	संख्या नम्बर
08.09.09	सैन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान	6 नोट	–
	सैन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान	2 नोट	–
	कतर बैंक साऊदी अरब	1 नोट	–
	साऊदी अरब अमीरात	1 नोट	–
	युनाईट अरब अमीरात	1 नोट	–
27.10.09	युनाईटिड स्टेट अमेरिका	100 डालर	AB-07455060 P
	युनाईटिड स्टेट अमेरिका	1 डालर	5219739 +E
	युनाईटिड स्टेट अमेरिका	1 डालर	53354504-B
8.11.09	युनाईटिड स्टेट ऑफ अमीरात	5 दिरमाह	
	आस्टैलियन करन्सी	10 डालर	4J-03320963
17.11.09	युनाईटिड स्टेट ऑफ अमीरात	5 दिरमाह	356227491
16.12.09	युनाईटिड स्टेट अमेरिका	1 डालर	L 834420334

उक्त विदेशी मुद्रा को राष्ट्रीयकृत बैंक से बदल कर प्राप्त राशि को सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेश किया जाए ताकि इस पर ब्याज का लाभ उठाया जा सके।

12 अंकेक्षण शुल्क :–

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2009 से 31.12.2009 तक का लेखा परीक्षा शुल्क राशि ₹10,700.00 बनता हैं। अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 33, दिनांक 30.8.2010 द्वारा उक्त राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट निदेशक स्थानीय निधि लेखा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पक्ष में तैयार कर शीघ्र भिजवाने का अनुरोध किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई कर दी जाए।

13 दैनिक संग्रह रजिस्टर :–

दैनिक संग्रह रजिस्टर अवधि 1.1.09 से 31.12.09 तक के अवलोकन पर पाया गया कि प्रत्येक माह में गल्लों से प्राप्त नोट, सिक्कों व रसीदों से प्राप्त राशियां, मनी ऑर्डर से प्राप्त राशियां, टैण्डर फार्म की बिक्री राशि जो कि वर्ष में प्राप्त की गई थी, की प्रविष्टियां दैनिक रजिस्टर पर पाई गई इस के अतिरिक्त कुछ ऐसी मदें जैसे सूट, थालियां खाद्य पदार्थ, बिजली के पंखों व अन्य सामान की प्रविष्टियां पृष्ठ संख्या –17 से 29 तक दर्ज पाई गई। क्योंकि ये मदें स्टॉक से सम्बन्धित हैं दैनिक संग्रह रजिस्टर पर निर्माण प्रविष्टियां दर्ज करना सही नहीं है। दैनिक संग्रह रजिस्टर में केवल प्राप्त नगदी राशि, सावधि ब्याज राशि की प्रविष्टियां ही अपेक्षित हैं। भविष्य में खाद्यान सामग्री व अन्य प्राप्ति को दैनिक संग्रह रजिस्टर पर दर्ज करना बन्द किया जाए अपितु इनका भण्डारण रजिस्टर पर इन्द्राज करके इनकी खपत सम्बन्धि प्रविष्टियां भी पंजिका में यथाप्रयोग दर्ज किया जाए। ताकि वर्ष के दौरान प्राप्त चढत राशि की गणना करने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो व लेखों का मिलान सही ढंग से किया जा सके।

14 वेतन एवं भत्तों की अनुपातिक प्रतिशतता :–

(1) श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एंव भत्तों में मिलने वाले लाभ के उपरान्त भी वर्ष 2009 में कुल व्यय पर प्रतिशतता में कोई अधिक अन्तर नहीं पाया गया। प्रतिशतता का विवरण निम्न से रहा :–

वर्ष	आय	कर्मचारियेां पर व्यय	प्रतिशतता
2007	88,94,905.00	24,03,710.00	27.02%
2008	90,63,055.00	24,58,596.00	27.13%
2009	11855359.00	34,11,403.00	28.77%

(2) कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट न लिखने बारे :–

अवलोकन पर पाया गया कि श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई मे कार्यरत नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2002 से प्रभावी की गई। जबकि हिन्दु सावर्जनिक धार्मिक एवं पूर्व विन्यास नियम के सेवा नियम–14 में वर्णित किया गया है कि न्यास के नियमित कर्मचारियों की सेवा पंजिका, वार्षिक रिपोर्ट एवं छुट्टीयों का पूर्ण ब्यौरा व सेवा से अन्य अभिलेख उक्त नियम अनुसार पूर्ण कर अध्यक्ष महोदय से सत्यापन करवाए जाए। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त समस्त प्रकरण से सेवा नियमों की अनुपालना शीघ्र प्रभावी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

(3) वेतन में राशि ₹300.00 का अधिक भुगतान करने बारे :–

माह 12/09 के वेतन बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि विजय पाल कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन माह 11/09 देय 12/09 को राशि ₹23,004.00 बनता था जबकि वेतन एवं भत्ते का योग ₹23,029.00 बना कर प्रतिमाह 25 रुपये का अधिक भुगतान माह 12/09 से 8/10 तक दिया पाया गया। अतः इस प्रकार अधिक भुगतान राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से करके की गई कार्यवाही से आगमी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

15 रसीद बुकों का रख–रखाव :–

रसीद बुक रजिस्टर पृष्ठ 1 से 5 तक के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मुद्रित रसीद बुकों राशि ₹1000, 500, 100, व 50 तथा 20 रुपये का रख–रखाव का कार्य श्रीमति रोशनी देवी लिपिक को सौंपा गया है। जबकि इन राशियों का लेखा जोखा मन्दिर प्रभारी के स्तर पर ही किया जाना होता है प्रभारी द्वारा ऐसा न कर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपा गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस सन्दर्भ में पैरा संख्या 32 उठाया गया था जिसमें एक रसीद संख्या जिसका मुद्रित मुल्य 500 था कि रसीद संख्या 1564 से 1600 तक कुल रसीदें 37 थी, दिनांक 30.12.08 के बाद वर्ष 2009 में जारी न कर व उपयोग में न लाने के कारण स्टोर स्टॉक में रखा गया जोकि एक गलत प्रक्रिया को दर्शाता है। अतः एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिस बारे पूर्णया तथा स्पष्टीकरण दिया जाता है।

परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों को भरने का सम्पूर्ण कार्य प्रभारी स्तर पर रखा जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय दुर्विनियोजन से बचा जा सके।

16 फटे पुराने नोटों के बदलने बारे :–

कण्डम नोट रजिस्टर पृष्ठ 77 के अनुसार अवधि 6/09 से 12/09 तक कण्डम नोटों की राशि ₹6,540.00 पाई गई। जिसे बैंक प्राधिकारियों से सम्पर्क करके बदल कर राशि को मन्दिर न्यास खाते में डाला जाए व की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर सूचित किया जाए।

17 <u>रोकड़ बही के रख–रखाव बारे</u> :–

(1) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 289 के अवलोकन पर पाया गया कि सावधि खाता संख्या 1421 जोकि ग्रामीण बैंक घुमारवीं में खोला गया था की परिपक्वता पर मिलने वाली ब्याज राशि ₹54,959 को मुख्य रोकड़ बही में प्रविष्टि कर ली गई थी परन्तु बैंक खाता संख्या–1421–दिनांक 17.2.2009 को प्रविष्टि नहीं पाई गई थी भविष्य मे बैंक प्रविष्टि एवं रोकड़ बही प्रविष्टियों का मिलान सुनिश्चित करें।

(2) खाता संख्या 297, दिनांक 20.3.09 की पड़ताल पर पाया गया कि चैक संख्या 4714069, दिनांक 6.2.09 व चैक संख्या 4714080 द्वारा मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 राशि ₹6,48,244.00 के स्थान पर राशि ₹6,47,880.00 की राशि निकाली गई दर्शाई हैं इस प्रकार राशि ₹364.00 की राशि बैंको के माध्यम से अधिक निकाल ली गई थी जिसे दिनांक 3.2.2009 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 302 पर जमा करवाया गया। पुष्टि कर ली गई है।

(3) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या–306, दिनांक 28.3.09 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहतलाई के खाता संख्या 39525 के अवलोकन पर पाया गया कि बैंक द्वारा सेविंग पर मिलने वाले ब्याज राशि क प्रविष्टि बैंक पास बुक मे दिनांक 31.12.08 को कर दी गई थी, परन्तु ब्याज राशि का लेखांकन रोकड़ बही पर तीन माह के पश्चात लेखों को सही किया गया। जिसकी पुष्टि की गई। परामर्श दिया जाता है कि बैंक द्वारा जिस माह में ब्याज लगाया जाता है रोकड़ बही में ब्याज का लेखांकन उसी माह में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। ताकि लेखों की स्थिति सही बनी रहे।

(4) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 317, दिनांक 11.4.2009 को चैक संख्या 5048068, दिनांक 8.4.09 के द्वारा श्री निक्का राम वरिष्ठ सहायक को बिल संख्या–78 के अर्न्तगत माह 3/2009 को वेतन अन्तर राशि बकाया का भुगतान किया दर्शाया गया है तथा राशि ₹11,030.00 का खर्चा भी रोकड़ बही पर अधिक दर्शाया है जबकि बैंक पास बुक एवं बैंक विवरणीका मे कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गई, इस प्रकरण में आगामी अंकेक्षण के समय वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(5) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या–335, दिनांक 7.5.2009 के अनुसार चैक संख्या–50,41,203 के द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान हेतु बिल संख्या 91, दिनांक 1.5.2009 द्वारा राशि ₹7,040.00 अधिक आहरति की गई जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है यद्यपि अधिक निकाली गई राशि दिनांक 7.5.2009 को खाता संख्या 297 में जमा किया दर्शाया गया है जिस की पुष्टि कर ली गई है। तदापि परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में बिलों के योगों का सही आंकलन सक्षम प्राधिकारी से पारित करने के उपरानत ही चैक काटे जाएं ताकि किसी प्रकार की चूक अनियमितता से बचा जा सके।

18 आर्थिक सहायता के सही लेखांकन बारे :–

माह 12/2009 के व्यय लेखों के अवलोकन पर पाया गया कि गरीब परिवारों के बच्चों की शादी, बीमारी पर व्यय व अन्य उपयोजन के लिए मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान मन्दिर न्यास की मुख्य आय से व अध्यक्ष (एस0डी0एम0) (नागरिक) की स्वीकृति उपरान्त वितरित की जाती है। जोकि प्रायः नगर के रूप में दी जाती है। जबकि वित्त निमनानुसार भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आर्थिक सहायता का भुगतान चैक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

19 स्टील की आपूर्ति ₹580.00 का अनियमित भुगतान :–

(1) वाऊचर/बिल संख्या 278, दिनांक 21.11.09, राशि ₹18,836.00 उपरोक्त वाऊचर संख्या द्वारा मैसर्ज एच0आर0 ट्रेडर्ज तलाई को उनके बिल संख्या 378, दिनांक 30.9.09 के द्वारा 577.80 किलो 12 एम0एम द्वारा स्टील की आपूर्ति की ऐवज में चैक संख्या 5041535 के द्वारा भुगतान किया गया है। विषय के अवलोकन पर पाया गया कि फर्म से आपूर्ति निम्न/न्यूनतम कुटेशनों के आधार पर ली गई थी, जिसमें से एच0आर0 ट्रेडर्ज की दरें न्यूनतम पाई गई व आपूर्ति पत्र शून्य, टी0टी0एन0डी, दिनांक शून्य को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने स्तर पर जारी किया गया आपूर्ति पत्र जारी करने से पूर्व फर्म से नेगोशिएशन, दिनांक 25.8.09 के की गई। जिसमे फर्म द्वारा प्रेषित दर 31.70 किवन्टल की दर से ₹10.00 प्रति क्विंटल की दर कटौती कर आपूर्ति मन्दिर न्यास को कर ली गई। जबकि फर्म के प्रेषित बिल में 10 एम0एम0 डाया की दर ₹3,270.00 प्रति क्विंटल व Reduce Rate. ₹3,260.00 की दर से बिल तैयार कर राशि ₹18,836.00 का भुगतान प्राप्त कियागया जबकि फर्म की कुटेशन दर 12 एम0एम की ₹3,170.00 प्रति किवंटल दी गई थी जबकि भुगतान

₹3,160.00 की दर से देय था अतः फर्म को राशि ₹578.00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान की अदायगी की गई। जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चूक कर्त्ता से आवयश्यक वसूली करके मन्दिर न्यास के खाते में जमा किया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(2) <u>सी0सी0टी0वी कैमरा व अन्य सामग्री का क्रय</u> :–

वाऊचर संख्या 279, दिनांक 21.11.09, राशि ₹4,087.00 उपरोक्त वाऊचर संख्या द्वारा मैसर्ज हिम भारती टैलिकॉम हमीरपुर को उनके बिल संख्या 195, दिनांक 19.6.2009 के माध्यम से एक नम्बर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पैन ड्राईव की आपूर्ति के एवजं में भुगतान चैक संख्या 5041540 द्वारा किया गया। विपत्र एवं अन्य अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि क्रय की मदों को परमानैंट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 200 व 237 पर दर्ज किया गया था। सी0सी0टी0वी0 का क्रय गुग्गा माडी मन्दिर के लिए क्रय किया गया था जबकि 1 नंम्बर पैन ड्राईव जिसकी कीमत ₹744.00 थी को मन्दिर न्याय कार्यालय के लिए जारी किया दर्शाया गया था। पैन ड्राईव की खरीद किस उदेश्य के लिए की गई, बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस व्यय की वसूली सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से की जाए ताकि मन्दिर न्यास की आय से अपव्यय पर रोक लगाई जा सके।

(3) <u>मन्दिर न्यास के बैंचों की लिखाई</u> :–

वाऊचर संख्या 280, दिनांक 21.11.09, राशि ₹3,520.00 उपरोक्त वाऊचर संख्या द्वारा मैसर्ज सागर आर्ट सर्विस तलाई, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को उनके बिल संख्या 164, 166 व 176, दिनांक 15.10.2009, व 25.10.2009 के एवजं में किया दर्शाया है विपत्र एवं अन्य अभिलेखों की पड़ताल पर निम्न आपतियां पाई गई हैं :–

(1) बिल संख्या 166, दिनांक 5.10.2009 को अध्यक्ष महोदय घुमारवीं के कार्यालय पर पेन्ट एंव लेबर चार्जिज़ के रूप में ₹1050.00 का भुगतान न्यास की आय से उचित प्रभार नहीं था।

(2) बिल संख्या 176, दिनांक 25.10.09 को पेन्ट व लिखाई खर्चा चार्ज किया दर्शाया है जो न्यास निधि पर उचित प्रभार नहीं था क्योंकि पेन्ट एवं लिखाई का कार्य तहसील झण्डुता (तहसीलदार) के कार्यालय पर व्यय किया गया है।

उपरोक्त व्यय बारे नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे उचित स्त्रोत से प्राप्त करके मन्दिर न्यास के खाते में जमा किया जाए।

(4) <u>वाऊचर संख्या 318, दिनांक 29.12.09, राशि ₹2,100.00</u>

<u>निजिवाहन से यात्रा व अधिक भुगतान बारे</u> :–

मन्दिर न्यास की सामन्य नस्ति संख्या 137 के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 15.7.2009 की बैठक में मौखित चर्चा पर गिनती/गणना दिवसों पर सचिव (तहसीलदार झण्डुता) मन्दिर न्यास को अपनी निजि वाहन के उपयोग करने पर यात्रा के दौरान पैट्रोल डालने के लिए ₹500.00 की दर से गणना दिवसों पर उपस्थिति पर स्वीकृति प्रदान करने का मसौदा पारित किया गया। जबकि यह राशि झण्डुता से तलाई व वापसी झण्डुता के लिए ही स्वीकृति ली गई थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न यात्राओं पर राशियों का भुगतान किया गया था, विवरण निम्न से था :–

बिल	माह/दिनांक	यात्रा का प्रायोजन	स्वीकृत राशि जो देय थी	देय राशि से अधिक भुगतान की गई राशि	अन्तर
175	12.8.09	तलाई से झण्डुता (गणना कार्य)	500.00	600.00	100.00
		तलाई से झण्डुता (गणना कार्य)	500.00	600.00	100.00
		तलाई से झण्डुता (गणना कार्य)	500.00	800.00	300.00
	10.11.09, 24.11.09		500.00	700.00	200.00
318	29.12.09	झण्डुता से तलाई एवं वापसी	500.00	700.00	200.00
			500.00	700.00	200.00
					1100.00

उपरोक्त ₹1100.00 के अधिक भुगतान की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाए अन्यथा इस प्रकार के अनियमित व्यय के नियमानुकूलन हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

20 **डिपोजिट वर्क :–**

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 290 व 295 की पड़ताल पर पाया गया कि बिल संख्या 25, दिनांक 18.2.2009 व बिल संख्या 28, दिनांक 2.3.2009 के द्वारा बैंक संख्या 4714077, दिनांक 18.2.09 व चैक संख्या 176330, दिनांक 28.2.09 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस विभाग डिविजन घुमारवीं को प्रथम किश्त एवं द्वित्तीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में राशि ₹8,92,875.00 + 8,92,875.00 कुल योग ₹17,85,750.00 का भुगतान केयर ऑफ लिंक रोड़ गुरना भाडी से हैलीपैड स्थल के लिया गया। परन्तु उक्त भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीद एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं किए गए थे जिन्हें शीघ्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

21 **वर्ष 2009 के उप–शीर्ष विकासात्मक कार्यों पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने पर**

वर्ष 2009 के बजट के अवलोकन पर पाया गया कि उप–शीर्षों में निधि प्रावधान के उप–शीर्ष 01(1)–विकासात्मक कार्यों के लिए बजट में राशि ₹36,00,000.00 का प्रावधान रखा गया था जबकि उक्त प्रावधान के अतिरिक्त विकासात्मक कार्यों पर राशि ₹48,46,671.00 का व्यय किया गया। इस प्रकार विकासात्मक कार्य पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने पर वर्ष 2009 से 345% की वृद्धि पाई गई। जबकि निर्माण कार्य से पूर्व इस बजट राशि बढ़ौतरी पर सप्लीमैंटरी बजट तैयार करवा कर अनुमोदन करवाना अनिवार्य है ऐसा प्रतीत होता है कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जो विकासात्मक कार्य के प्राक्कलन एवं अन्य कार्य बिना प्रशसनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के तैयार कर अध्यक्ष महोदय से पारित करवा लिए गए हैं। उपरोक्त अधिक किए गए व्यय के नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

22 **सेल टैक्स व आयकर को जमा करवाने बारे :–**

(1) अवधि 2009 के दौरान निर्माणाधीन एवं विकासात्मक कार्यों का निष्पादन संविदाकरों से सम्पन्न करवाने के उपरान्त उनको प्रतिभूति राशि सेल टैक्स व आयकर की कटौती पर भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया था व काटे गए आयकर/सेल टैक्स राशियों को एक मुश्त सम्बन्धित

विभागों में चालान के माध्यम से जमा करवा कर उनकी प्रविष्टियां रोकड़ बही पर भी दर्ज कर ली जाती थी। अवधि के दौरान निम्न संविदाकारों से प्राप्त आयकर/सेल टैक्स राशियां विभागों में जमा करवाई गई।

क्र0 सं0	संविदाकार का नाम	बिल सं0	आयकर	सेलज़ टैक्स	योग	बैंक का नाम	चालान सं0	दिनांक
1	राजकुमार कोंडल	263	9815	9815	19630	युको बैंक घुमारवीं	1	16.1.09
2	–यथोपरि–	47	19545	9416	19961	–यथोपरि–	4 व 20	24.3.09
3	–यथोपरि–	44	6702	4318	11020	–यथोपरि–	4 व 20	24.3.09
4	पठानीया इलैक्टिक वर्कस तलाई	60	1201	1073	2274	–यथोपरि–	39	2.4.09
5	अमरजीत	150	7667	6792	14399	–यथोपरि–	29	13.7.09
6	रामकृष्ण	174	2042	1824	3866	–यथोपरि–	22	10.8.09
7	रामकृष्ण	185	2041	1822	3863	–यथोपरि–	1	31.8.09
8	रामकृष्ण	47	943	892	1785	–यथोपरि–	5041512	1.10.09
9	अमरजीत	227	3786	3380	7166	–यथोपरि–	7	15.10.09
10	अमरजीत	237	1892	1690	3582	–यथोपरि–	8	15.10.09
11		288	1634	1452	3086	–यथोपरि–	17	12.1.10

वर्णित क0सं0 1 से 10 तक की आयकर व सेलज़ टैक्स राशियों की पुष्टि कर ली गई। इस के अतिरिक्त संविदाकार श्री नत्थू राम को आबंटित कार्य संख्या में स्टील बिछाने पर राशि ₹22,256.00 का भुगतान किया गया जिसमे आयकर/सेलज़ टैक्स राशि ₹501+445 योग ₹946.00

की राशि भी सम्मिलित थी इस प्रकार आर0के0 शर्मा को फुट पाथ निर्माण का भुगतान राशि ₹66,657.00 किया गया जिसमें सेलज़ टैक्स/आयकर राशि 1500+1333 योग ₹2833 की राशि सम्मिलित है। इन दोनों संविदाकारों को चैक के माध्यम से भुगतान किया गया। जिससे यह वर्णन किया गया था कि आयकर/सेलज़ टैक्स को अपने माध्यम से जमा कर इस की वास्तविक चालान/रसीद विभाग के प्रस्तुत करें, परन्तु अंकेक्षण अवधि तक आयकर/सेलज़ टैकस जमा नहीं करवाया गया, भविष्य में संविदाकारों को आयकर नियम–1901 के अनुसार टैक्स की कटौती कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(2) निम्न निर्माण कार्य पर अतिरिक्त मदों का निष्पादन करने पर अधिक भुगतान राशि ₹1,07,308.00 करने बारे :–

अवलोकन पर पाया गया कनिष्ठ अभियन्ता मन्दिर न्यास द्वारा विकासात्मक कार्य/निर्माण कार्यों पर अवॉडिड राशि से व शडयूल ऑफ कवालटी के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त मदों का कार्य सम्पन्न करवा कर संविदाकारों को लाभ पहुंचाया है। नियमानुसार अतिरिक्त मदों की दर विश्लेषण तैयार कर मन्दिर अभियन्ता से दरों का अनुमोदन किया जाता है तत्पश्चात अतिरिक्त मदों का कार्य निष्पादित करवाना अपेक्षित था। इस अनियमित्ता का स्पष्टीकरण दिया जाए तथा शामिल व्यय के नियमानुकूलन हेतु भी तुरन्त उचित कार्रवाई करें।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम/आबंटित राशि	अतिरिक्त मदों का नोमी केलचर	मात्रा	दर	राशि	माप पुस्तिका
1	C/o फुटपाथ नजदीक सरमाली खड्ड तलाई	राम कृष्ण 90,255.00	(1) प्रोवाईडिंग एण्ड लैंडिंग 1:6:12, 40एम0एम0 शीट	12.81 m^3	1767.00	22,635.00	13028 72 से 77
			(2) ऐक्स वाकेशन ईन फाऊडेशन	2.37 m^3	96.00	227.00	
			(3) फोर्म वर्क	5.94 m^2	144.00	855.00	

			वर्टिकल				
			(4) प्रो/लेइंग 1:5:10, 15% लाभ	2.25 m^2	1800.00	4050.00	
						27,767.00	
2	C/o फुटपाथ नजदीक RD-2nd सरमाली खड्ड तलाई	राम कृष्ण 90,255.00	(1) प्रोवाईडिंग एण्ड सी0 1:6:12	11.35 m^3	1767.00	20953.00	13028 77 से 82
			(2) ऐक्सा वाकेशन फाऊंडेशन	1.07 m^3	96.00	103.00	
						21,056.00	
3	C/o Administrative Block	राजकुमार कोंडल	(1) प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग कोटा स्टोन	28.49 Sgm	800.00	22792.00	
			(2) प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सेवटिक टाईल फलोरिंग	11.91 m^2	750.00	8977.00	
						31,769.00	
4	C/o foot path	नत्थू राम 90,255.00	(1) प्रोवाईडिंग एण्ड लैइंग	15-16 m^3	1767.00	26788	

40एम0एम0 शीट

26,788.00

23 मन्दिर न्यास का मास्टर प्लान :–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू धार्मिक एंव सांस्कृति, पुर्णविन्यास 1984 व हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में सभी मुख्य मन्दिरों को जीवनोधार एवं धरोहर के सम्भाल कर रखने के लिए प्रत्येक मन्दिर का एक विशेष मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। जिस पर करोड़ों रुपयों का व्यय करने का प्रावधान रखा गया है जिसके लिए समय–समय वास्तुकार की सेवाएं भी ली जा रही हैं। अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही पृष्ठ–346 के अवलोकन पर पाया गया कि बिल संख्या 127, दिनांक 3.6.09 के द्वारा वास्तुकार राकेश मैहता एण्ड एसोसिएट–आर्ट्रीटैक्ट का0 वेल्यू आकार शिमला को मन्दिर न्यास के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 50 % राशि का भुगतान चैक संख्या 5041023, दिनांक 30.6.09 को राशि ₹95,862 का किया दर्शाया है। जबकि वर्ष 2009 में विकासात्मक कार्यों को देखा जाए तो वर्ष के लिए ₹36,00,000.00 का प्रावधान रखते हुए खर्चा ₹42,35,000.00 तक पहुंच गया है। इस प्रकार लाखों रुपयों की राशि न्यास विकासात्मक कार्यों पर व्यय प्रतिवर्ष की जा रही है ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कार्यवाही में (Trust Meeting) जो भी मदें रखी जाती हैं वह बिना जांच/पडताल के लिए मन्दिर न्यासीयों की सहमति से अनुमोदित कर दी जाती हैं। जबकि लाखों रुपयों का व्यय अध्यक्ष महोदय एवं आयुक्त जिलाधीश बिलासपुर द्वारा मन्दिर न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार प्राक्कलन को एजैन्डा आईटम बना कर ट्रस्टी से अनुमोदन करवा कर कार्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि क0अ0 की कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से दोषी सम्बन्धित दर्शाया है जबकि गत वर्ष के प्रतिवेदन के पैरा 60 में इस प्रक्रिया को पैरा उठाया गया था, परन्तु कोई कार्यवाही न कर छोटे–छोटे कार्यों को भागों में बांट कर व्यय किया जा रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश सकार द्वारा मन्दिरों के जीर्णोद्धार के लिए समय–समय पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं इस के बाबजूद बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास शाहतलाई में प्राप्त राशियों, श्रद्धालुओं से प्राप्त दान राशियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च न कर नगर पंचायत के बार्डों मे रास्ते का निर्माण, वार्डों में Panding कार्य पर ही अधिक जोर डाल कर पैसों का व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। जहां तक नगर पंचायत तलाई के वार्डों का सम्पूर्ण कार्य सचिव/निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से प्राप्त अनुदान राशियों से होना चाहिए।

अतः परामर्श दिया जाता है कि मन्दिर न्यास की आय में से सुव्यवस्थित ढंग से विकासात्मक कार्य के लिए व्यय किए जाएं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं तथा आम जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

24 <u>चढावे के रूप में प्राप्त सिक्कों को सीधे तौर पर बैंक में न डालकर बिक्री करने बारे</u>:–

(1) मन्दिर न्यास दिनांक 15 जुलाई, 2009 की मद संख्या 26 व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2006–2007 के पैरा 15 के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया गया था कि प्राप्त सिक्के/भान को स्थानीय लोगों में न बांट कर सीधे रूप में बैंक में सकरोल के माध्यम से जमा करवाया जाए, परन्तु सिक्कों का वितरण जों का त्यों वैसा ही मन्दिर प्रभारी व गणना दिवस पर कार्यरत न्यासीयों द्वारा गलत ढंग से किया जा रहा है। इस संदर्भ में पुनः परामर्श दिया जाता है कि बैठक के निर्णय को शीघ्र कार्यन्वित किया जाए। अन्यथा किसी प्रकार के दुर्विनियोजन के लिए मन्दिर प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) <u>गणना कक्ष में सिक्कों की गणना न कर केवल तराजू के माध्यम से बजन कर थैलियां तैयार करने बारे</u> :–

सिक्कों की गणना की प्रक्रिया बारे गत अंकेक्षण अवधि 2006–07 में पेरा–8 के अन्तर्गत आपत्ति उठाई गई थी। परन्तु बार–बार परामर्श देने के पश्चात भी मन्दिर न्यासीयों द्वारा नई विधि की खोज कर ली जाती है। गणना कक्ष में सिक्कों की छंटाई जिसमें 50 पैसे 1 रुपये व 5 रुपये व 2 रुपये की छंटाई दैनिक भोगी कर्मचारी से करवाई जाती है, तत्पश्चात इन सिक्कों को थैलियां तैयार करने के लिए तराजू के माध्यम से भार कर अनुमानित राशि समझ कर थैलियां तैयार की जाती हैं। यह एक गलत प्रक्रिया हैं। जबकि न्यास के कार्यरत/मनोनीत न्यासीयों की नियुक्ति न्यास के कार्य प्रणाली को सुदृढ करने के लिए की जाती है। वास्तव में गणना प्रक्रिया की उपस्थिति के लिए मद संख्या–18 व मद संख्या–20 को सर्व सम्मति से पारित करवाया गया था तो ऐसी प्रक्रिया को कहां तक उचित समझा जाए, ठोस तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए।

(3) <u>मन्दिर न्यास में नियुक्त न्यासीयों को स्थल क्रय कमेटी/कुटेशन/निविदाओं के लिए खोलने के लिए प्राधिकृत न करने बारे</u> :–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि प्रायः मन्दिर न्यास में नियुक्त न्यासीयों के द्वारा मेले के दौरान क्रय सामग्री दिन प्रतिदिन प्रयोगार्थ कन्जयूमेबल एंव नॉन कन्जयूमेबल सामग्री के अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्यस्थल प्रयोगार्थ सामग्री, सीमेन्ट, रेत,

बजरी, पत्थर, मार्वल, बिजली का सामान, सफाई का सामान व अन्य सामग्री के क्रय की प्रक्रिया की गई जब कि वर्ष 2009 के व्यय अभिलेखों में सचिव (मन्दिर न्यास) तहसीलदार झण्डुता व अध्यक्ष महोदय की किसी प्रकार की मध्यस्ता नहीं पाई गई।

यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मन्दिर न्यास कार्य प्रणाली के लिए वर्ष 2009 में जो न्यासीय नियुक्ति किए गए हैं उनमें से 80% न्यासीयों का तलाई में कारोबार है। उदाहरण के तौर पर अगर घी, तेल प्रसाद के लिए निविदाएं मंगवाई जाती हैं तो खोलने के लिए बिजली का कार्य करने वाले न्यासी, छोटी मोटी ढुलान चलाने वाले न्यासी को बुला कर निविदाएं खोल ली जाती हैं। अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है जिस में कार्यालय मन्दिर न्यास के लिपिक वर्ग को अनदेखा कर पूर्ण प्रक्रिया अपने स्तर पर ही पूर्ण की जा रही है जो सन्देहास्पद है अतः ऐसी प्रक्रिया पर तुरन्त प्रभाव से पूर्ण रोक लगाने के साथ–साथ समस्त खरीद हेतु किसी जिम्मेवार कर्मचारी की अध्यक्षता में कम से कम तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता/दुर्विनियोजन की संभावना पर भी रोक लगाई जा सके।

25 चल अचल सम्पत्ति जिस्टर का निर्माण :–

अंकेक्षण अवधि तक चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है, जिसे शीघ्र तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

26 वस्तुओं की प्राप्ति बारे :–

(क) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ (शाहतलाई) के अंकेक्षण के दौरन यह देखने में आया है कि जो वस्तुएं श्रद्धालुओं द्वारा दान के रूप में दी जाती है उनकी जो पावती रसीदें दी जाती हैं व कार्बन लगाकर नहीं दी जा रही है बल्कि कुपन के रूप में दी जा रही है जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ होने की आशंका रहती है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की प्राप्ति रसीदों को कार्बन लगाकर ही जारी करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाए।

(ख) मन्दिर न्याय में जो चावल श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाते है। उन्हें बजन के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया जा रहा है बल्कि थैलियों के अनुसार ही इन्द्राज किया जा रहा है जिसमें थैली का बजन नहीं दर्शाया जा रहा है जो कि अनुचित है। अतः भविष्य में इन्द्राज में बजन का दर्शाना सुनिश्चित करें ताकि खाद्य पदार्थ की मात्रा तथा तत्सम्बन्धी उपयोग का सही पता लग सके तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) मन्दिर न्यास में जो वस्तुओं की खपत का रजिस्टर है, उसमें जो सामान की खपत दर्शायी जाती है उसे सचिव मन्दिर न्यास द्वारा सत्यापित करना वांछित है। भविष्य में इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें तथा इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

27 भण्डार वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन :–

अंकेक्षण अवधि तक भण्डारण वस्तुओं का सत्यापन नहीं करवाया गया व इसके अतिरिक्त चढावे में प्राप्त वस्तुओं का भौतिक सत्यापन के लिए बैठक दिनांक 15.7.2009 की मद संख्या 22 के अनुसार कमेटी का गठन नहीं किया गया। अपेक्षित कार्रवाई अब सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

28 लघु आपत्ति विवरणीका :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

29 सारांश :–

मन्दिर न्यास के विकासात्मक कार्यों, स्थल खरीद कमेटी का गठन स्थानीय न्यासीयों को सम्मिलित न कर, मन्दिर कार्यालय के लिपिक वर्ग, अध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक एवं सचिव कम तहसीलदार झण्डुता को ही प्राधिकृत किया जाए। किसी प्रकार के क्रय टैण्डर प्रक्रिया एवं अथ कार्य के लिए कनिष्ट अभियन्ता व न्यासीयों को कमेटी का सदस्य मनोनित न किए जाएं क्योंकि मन्दिर न्यास में नियुक्त न्यासी स्थानीय एवं स्थानीय दुकानदार है। जिन की उपस्थिति में ऐसी प्रक्रिया का कार्य उचित नहीं है, न्यासीयों की सेवाएं केवल गणना दिवस में उपस्थिति तक ही सीमित रोकी जाए ताकि मन्दिर न्यास की कार्य प्रणाली पर कुप्रभाव न पड़े।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)199/99–खण्ड–4–1469–1472 दिनांक 17.03.2011, शिमला–171009

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत :– (1) मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

(2) सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(3) उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)

(4) निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

(अनूप कुमार)

श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतालाई, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	पैरा का विवरण	राशि	टिप्पणी
1	7	आय व्यय आंकड़ों की तिमाही बारे आयुक्त महोदय को प्रस्तुत न करने बारे	–	–
2	14(3)	वेतन एवं भत्तों के योग गलत होने पर अधिक भुगतान	300.00	क0अ0 के माह 8/09 से 8/10 प्रति माह ₹25.00 की राशि का अधिक भुगतान करने पर
	14(2)	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट न लिखने	–	–
3	19(1)	स्टील की आपूर्ति बिल संख्या 278, दिनांक 21.11.09	580.00	राशि ₹580.00 का भुगतान
	19(2)	पैन ड्राईव का क्रय	744.00	अनुचित क्रय
	19(3)	पेन्ट व लिखाई पर व्यय	1630.00	तहसीलदार झण्डुता के कार्यालय पर व्यय मन्दिर न्यास से उचित नहीं था
	19(4)	टैक्सी बिल पर प्रस्तावित राशि से अधिक भुगतान बारे	1100.00	–
4	21	बजट प्रावधान से अधिक व्यय कर Shoortly बजट अनुमोदित न करवाने बारे	–	राशि 36,00,000.00 के प्रावधान के स्थान पर 48,46,671.00 का व्यय

5	22(1)	सेल टैक्स व आयकर को जमा करवाने बारे	946.00 2833.00	संविदाकारों से जमा रसीदें अपेक्षित हैं
	22(2)	अतिरिक्त मदों का दर विश्लेषन एवं अनुमोदन	107308.00	मन्दिर अभियन्ता (DRDA) से दर विश्लेषण एवं अनुमोदित न करवाने बारे।
6	24(1)	सिक्कों को सीधे तौर पर बैंक में जमा न करवाने बारे	–	–
	24(2)	सिक्कों की गणना न कर तराजू से बजन कर थैलियां बनाने बारे	–	–
	24(3)	न्यासीयों को कमेटी का सदस्य मनोनीत न करने बारे	–	–